



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232220
CG-DL-E-29122021-232220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5011]
No. 5011]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5402(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : सीहोर		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
जावर	जावर	168	00	01	52
		172/2	00	01	19
	बमूलिया रायमल	688/1/2	00	00	34
	टोलका खेडा	36/1K/2	00	00	66
	कल्याणपुरा	339/2	00	06	17
	टिगरिया	169,170/3	00	01	90
		169,170/2	00	03	73
	अरनियागाजी	46/2	00	01	20
		41,42,75/3	00	00	58
		681	00	04	63
		728,729/1,730/1	00	01	01
	चामसी	61/4	00	04	21
		61/6	00	03	19

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5402(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority, KGPL Project IHB Limited M.P. state Bhopal.

SCHEDULE

District : Sehore		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Jawar	Jawar	168	00	01	52
		172/2	00	01	19
	Vamuliya Raimal	688/1/2	00	00	34
	Tolkakheda	36/1K/2	00	00	66
	Kalyanpura	339/2	00	06	17
	Tigariya	169,170/3	00	01	90
		169,170/2	00	03	73
	Arniya Gaji	46/2	00	01	20
		41,42,75/3	00	00	58
		681	00	04	63
		728,729/1,730/1	00	01	01
	Chamsi	61/4	00	04	21
		61/6	00	03	19

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5403(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : सीहोर		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
आष्टा	खडी हाट	1	00	00	35
		268, 1279/268/2	00	03	90
आष्टा	टिटोरिया	576	00	00	53
आष्टा	हीरापुर	215/1	00	00	64
		90	00	00	80
		216	00	02	30
		207	00	01	06
आष्टा	बगडावदा	367	00	01	57
		371	00	05	22
		369	00	04	40
		374	00	00	64
		370	00	00	11
		375/1	00	00	29
		376/4	00	01	08
		376/3	00	01	68
		379/3KA	00	13	16
		379/3kh	00	13	13
आष्टा	लसूडिया सूखा	64	00	00	24
		65	00	01	22
		17	00	00	68
		142	00	00	72
आष्टा	निपानिया कला	440/3	00	01	25
		656	00	00	49
		634/1	00	01	09
		629	00	02	40
		627/2	00	01	47
		603	00	01	79
		593	00	05	01
		512	00	00	23
		514	00	00	20

		459/2	00	03	49
		465	00	01	45
		469	00	01	25
		451	00	01	84
		445	00	01	02
		444	00	03	22
आष्टा	लोरासकलां	11/15/G	00	02	65
		11/15/KH	00	02	10
		11/15/K	00	01	31
		11/5/KH	00	01	55

[फा.सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S. O. 5403(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority, KGPL Project IHB Limited M.P. state Bhopal.

SCHEDULE

District : Sehore		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Ashta	Khadi Hat	1	00	00	35
		268, 1279/268/2	00	03	90
Ashta	Tituriya	576	00	00	53
Ashta	Hirapur	215/1	00	00	64
		90	00	00	80
		216	00	02	30
		207	00	01	06

Ashta	Bagdawada	367	00	01	57
		371	00	05	22
		369	00	04	40
		374	00	00	64
		370	00	00	11
		375/1	00	00	29
		376/4	00	01	08
		376/3	00	01	68
		379/3KA	00	13	16
		379/3kh	00	13	13
Ashta	Lasudiya Sukha	64	00	00	24
		65	00	01	22
		17	00	00	68
		142	00	00	72
Ashta	Nipaniya Karla	440/3	00	01	25
		656	00	00	49
		634/1	00	01	09
		629	00	02	40
		627/2	00	01	47
		603	00	01	79
		593	00	05	01
		512	00	00	23
		514	00	00	20
		459/2	00	03	49
		465	00	01	45
		469	00	01	25
		451	00	01	84
		445	00	01	02
		444	00	03	22
Ashta	Lorasarkalan	11/15/G	00	02	65
		11/15/KH	00	02	10
		11/15/K	00	01	31
		11/5/KH	00	01	55

[F.No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5404(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला-राजगढ़		राज्य-मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
नरसिंहगढ़	तुकीपुरा	9	00	13	66

[फा.सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S. O. 5404(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority, KGPL Project IHB Limited M.P. state Bhopal.

SCHEDULE

District : Rajgarh		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Narsinghgarh	Turkipura	9	00	13	66

[F.No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.